

2025/21

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

पलवार डोंडा

क्र. सं.	खाता सं.	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०दि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	184	306/1 गौरी क्रि 04	0.6070 1.3025	वांछु कुंज नाया भारि - मरमिया मा. डे. खानेवा रहन - मारवा शामीठा बैंक शाखा मानपुर	वांछु कुंज नाया भारि - मरमिया मा. डे. खानेवा रहन - मरमिया शामीठा बैंक शाखा मानपुर	

मुताबिक मिस्र/जमाबंदी संपत्र 2025  
76 धारा 77 (2) के  
उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना  
प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138  
राज० भू० राजस्व अधिनियम 1958 के  
वहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
अलवर के समक्ष श्रयण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया  
गया। रिपोर्ट प्रत्यारी पूर्ण है। अतः  
उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना  
उचित है।

प०हल्का ~~...~~  
भू०अ०नि० ~~...~~  
की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के  
मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार  
शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण  
पंचोपस्त संक्रियत्तों के दौरान/पूर्व  
का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी  
महोदय अलवर को सादर प्रेषित है।

प०हल्का ~~...~~  
भू०अ०नि० ~~...~~  
राजस्व अधिकारी की  
रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के  
आधार पर उपरोक्तानुसार  
शुद्धीकरण किये जाने के  
आदेश प्रदान किये जाते हैं।  
घात जमाबंदी में जमल  
किया जावे।

19/12/21  
दिनांक 19/12/21  
तहसील-आबूरोड

19/12/21  
दिनांक 19/12/21  
ह० भू०अ०नि०

ह० राजस्व अधिकारी  
तहसीलदार आबूरोड  
जिला-सिरोही  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड